

414

403 1000Rs.



वकील श्री ए. जयदेव का प्रमाणपत्र
 4.6.11-170.0

महोदय: श्री जयदेव का प्रमाणपत्र
 (प्रमाणपत्र संख्या 170.0)।
 का 1 क प्रमाणपत्र I.A. with the permission
 by S. D. O. Sindega vide
 order no. 258/2010-11
 dated 25-3-11

13.4.11

₹ 25000/- रु०
 श्री रमेश चंद्र गुंजा सो० 1, 25000/- रु०
 पाकर श्री जयदेव का प्रमाणपत्र
 संख्या 170.0
 दि० 13-04-2011

1. लेख्यकारी :- श्री सिररील हुंगहुंग पिता स्वर्गीय
 जोसेफ हुंगहुंग, जाति-छाडिया, पेशा-कृषि,
 निवासी ग्राम-गोतरा गड़राबहार, थाना-
 तिसमडेगा, जिला-तिसमडेगा झारखण्ड
 बिदेता ।
 शपथ-पत्र संख्या :- 247/2011

जीलन रोजेब मिंज - पिता - स्व. जयदेव का प्रमाणपत्र
 ग्राम - फुवेलदोली
 थाना - तिसमडेगा
 जिला - तिसमडेगा
 दि० 13/4/11



-2-

2. लेखधारी :- मन्सीमिलियन कुल्लू पिता स्वर्गीय फ्रांसिस कुल्लू, जाति-छाड़िया, पेशा-नौकरी, निवासी ग्राम- गोतरा, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा
 & झारखण्ड & केता भारतीय नागरिक।
 शपथ-पत्र संख्या :- 248/2011

3. लेखपुकार :- शिबकय-पत्र & केवाला &

4. मूल्य :- मोबिलग- 105000/= रु एक लाख पांच हजार रुपये जमीन का कीमत एवं उसपर अवस्थित पुराना चहारिदिवारी का कीमत - 20000/= रु कुल कीमत- 125000/= रु एक लाख पच्चीस हजार रुपये जिसका आधा बारसठ हजार पांच सौ रुपये अंके- 62500/= रु होता है।

5. सम्पति :- मौजा-गोतरा सामटोली, थाना/अंचल-सिमडेगा, जिला अवर निबन्धन कार्यालय वो जिला सिमडेगा, थाना नं०-80 & अस्सी & खाता नं०-34 & चौंतीस & पलाट नं०-3301 & तीन हजार तीन सौ एक बट्टा पांच हजार दो सौ छप्पन & रकबा- 0.18 एकड़ में से 0.03 एकड़ & तीन डिसेमल & एवं जिसपर ईट एवं गिलावा से निर्मित 103' लम्बाई एवं 3' ऊंचाई का पुरान

सिरीलु कुंजाकुंज
 लखु डि-०५-२०११

मन्सीमिलियन कुल्लू वडा
 पिता - २००० रूडवर्ड वडा
 ग्राम - गोतरा नया टोली
 थाना & जिला - सिमडेगा
 ति. 13-4-11



-3-

पुराना चढारीद्वारी है । दर्जा जमीन टांड आवासीय जिसपर चढारीद्वारी के अलावे कोई निर्माण कार्य वा मकान वा पेड़ पौधा नहीं है । एवं यह व्यवसायिक दर्जे में नहीं आता है ।

मालगुजारी :- 0.03 रुपये अलावे सेस सलाने ।

चौहद्दी :- उत्तर :- इसी पलाट का अंश 4 का गली कच्ची

दीक्षण :- स्कोल्टीस्टका हुंगहुंग का मकान

पूरब :- इसी पलाट का शेष अंश टांड शंकर बडाईक ।

पश्चिम :- पी 0 सी 0 सी 0 पथ ।

॥क॥ चूंकि मुझे बिमारी का इलाज करवाने के लिए रुपये रुपये की आवश्यकता हुई । और रुपये पाने का कोई अन्य उपाय नहीं रहने के कारण मैं ने मेरी उपर्युक्त वीर्णत संपत्ति को लेख्यधारी से छारीदने का आग्रह किया जिसे वे खरीदना स्वीकार किये । अतः मैं ने उपर्युक्त वीर्णत संपत्ति को लेख्यधारी से बेवने की अनुमति पाने हेतु आवेदन् श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा की अदालत में दिया , जिसे राजस्व वाद संख्या-258/2010-11 दर्ज किया गया । एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधीनियम की धारा 46 के प्रावधान के मुताबिक दिनांक 25.03.2011 को मुझे अनुमति प्रदान की गई है, जिसकी एक प्रत मुझे मेमो नं०- 327 ॥ii॥ दिनांक 25.03.2011 के द्वारा प्राप्त हुई है ।

1105-40-51 पति
सिद्धि, इलाहाबाद



-4-


४७४ अतः मैं अपनी स्वेच्छा से शरीर और मन की स्वस्थता में उपर्युक्त वर्णित सम्पत्ति का पूरा कीमत लेख्य-धारी से पाकर बेच दिया। तथा इस सम्पत्ति का पूरा अधिकार एवं स्वामित्व लेख्यधारी को हस्तांतरित कर दिया। अब इस सम्पत्ति पर मेरा या मेरे किसी भी उत्तराधिकारी का न कोई अधिकार रहा और न आईन्दे होगा।

४७५ मैं यह घोषित करता हूँ कि यह सम्पत्ति मेरी स्वयं अर्जित सम्पत्ति है, जिसे मैं ने निर्दिष्ट विक्रय-पत्र दस्तावेज संख्या 280/2000 ई० को दिनांक 12.06.2000 के द्वारा हासिल किया है। जिसका दाखिल-खारिज वाद संख्या 46 आर.27/2000-01 के आदेशानुसार मेरे नाम जमाबंदी कायम हुआ है। तथा मालगुजारी की रशीद मेरे नाम निर्गत होता आ रहा है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त सम्पत्ति पर मेरा निर्विवाद दखल-कब्जा चला आ रहा है। तथा इस पर किसी प्रकार का कोई श्रम या भार नहीं है।

४७६ लेख्यधारी को उपर्युक्त वर्णित सम्पत्ति पर दखल-कब्जा दे दिया है। अब लेख्यधारी इसे जैसा चाहे अपने उपयोग में लावे। और दाखिल-खारिज अपने नाम करवा कर मालगुजारी सरकार को दिया करे।

पेज नं० 5

सिरिल ह्यूड्स
ता० 13-04-2011



-5-

इसलिए यह बिक्रय-पत्र दस्तावेज लिखा दिया कि समय पर काम आवे और प्रमाण रहे ।

लेख्यकारी :- मैं यह घोषित करता हूँ कि यह सम्पति भू-हदबन्दी अधीनवर्ग की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है। तथा इससे संबंधित कोई मामला मेरे विरुद्ध न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

सिरील इंगुंग
तार 13-04-2011

सिरील इंगुंग
तार 13-04-2011



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी श्री सिरील इंगुंग ने अपने बाएँ हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे खगदा दिया।

अजय कुमार
अधिवक्ता
13.04.11

लेख्यधारी :- मैं यह घोषित करता हूँ कि इस दस्तावेज द्वारा प्राप्त भूमि के बाद भी मेरे हिस्से भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक भूमि नहीं है।

मकसमीलियन कुल्लू
13/4/11



उम्मावित किया जाता है कि लेख्यधारी श्री मकसमीलियन कुल्लू ने अपने बाएँ हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष रखा।

अजय कुमार
अधिपक्ष
13.04.11

स्विकृत हुआ, इस
ता 13-04-2011

इस दस्तावेज का पारूप मेरे द्वारा तैयार किया गया है ।
तथा इसके पक्षकारों को पढ़कर सुना वो सम्झा दिया गया
है, जिसे स्वयं भी पढ़कर स्वीकार किये कि सही है ।

पारूपकर्ता,

श्रीजय कुमार

उत्पि 929A-13.04.11

अधीवक्ता, सिमडेगा ।

इस दस्तावेज में कुल 7 पन्नों पर मेरे द्वारा कुल 682
शब्द टंकित किये गये हैं जो छाण्डन रहित है । तथा बिक्रीत
जमीन का नक्शा दस्तावेज के साथ संलग्न है जो इसका अंश है।

टंकक :-

देवनिस बाड़ा
१३-०४-२०११

॥ देवनिस बाड़ा ॥
सिमडेगा कोर्ट, सिमडेगा

1105-70-2011
सिमडेगा कोर्ट
सिमडेगा